

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/1729 /

जबलपुर, दिनांक 09/07/2020

II-14-49/2020

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 161/4/31/82/नि-1/चार, दिनांक 31.01.1983 एवं वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1/2018/नियम/चार भोपाल, दिनांक 08 मार्च 2019 में निहित प्रावधान के अनुसार स्व. श्री अनिल कुमार शर्मा, सेक्रेट्री टू दी जज, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर की मृत्यु दिनांक 27/02/2020 को हो जाने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखे में 216 दिन के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान किए जाने की स्वीकृति एवं उक्त राशि का भुगतान श्रीमती माया शर्मा पति स्व. श्री अनिल कुमार शर्मा, सेक्रेट्री टू दी जज को किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सही/-

(प्रियदर्शन शर्मा)

रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक C/1730 /

जबलपुर, दिनांक 09/07/2020


II-14-49/2020

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-इंदौर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक/639/लेखा/2020 इन्दौर, दिनांक 29/05/2020 के संदर्भ में स्वर्गीय श्री अनिल कुमार शर्मा, सेक्रेट्री टू दी जज, खण्डपीठ इंदौर का अवकाश लेखा मूलतः वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

2. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार (स्था.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
4. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,


(किशोर पिठवे)
ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम) (पी)